आज बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन के केन्द्रीय हॉल में बिहार विधान सभा के मा. अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा के अध्यक्षता में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के संसदीय कार्य-सह-शिक्षा मंत्री मा. श्री विजय कुमार चौधरी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर बिहार विधान सभा के सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, श्री पवन कुमार पाण्डेय, प्रेस सलाहकार समिति के सदस्य सभा सचिवालय के पैनेल से जुड़े पटना उच्च न्यायलय के अधिवक्ताओं के साथ सभा सचिवालय के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने संविधान दिवस की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बाबा साहब अंबेदकर सहित उन सभी महान विभूतियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने आजाद भारत को इतना शानदार संविधान दिया। उन्होंने संविधान निर्माण में बिहार के विशेष योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि संविधान सभा के अस्थायी एवं स्थायी सभापति यानी डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दोनों बिहारी थे।

साथ ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह भी संविधान सभा के सदस्य थे। मा. अध्यक्ष महोदय ने भारत के संविधान की विशेषताओं को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत का संविधान केवल एक संविधान नहीं है, बल्कि देश की संवैधानिक एवं प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है।

मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर विशेष रूप से समाज में सभी लोगों से अपने नैतिक दायित्व के निर्वहन करने का आह्वान किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कल 25.11.2021 को सीवान में एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया। जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई में सीवान जिला के लगभग सभी विधायकों एवं वहां मौजूद सभी लोगों ने 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त एवं 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण नैतिक जवाबदेही का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके नाम से ही आपका परिवार जाना जाए क्योंकि आपने इन सभी संकल्पों को ग्रहण कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान एक-एक कर राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संविधान दिवस के संदर्भ में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना में निहित है। इसलिए हम सभी को आज इस प्रस्तावना को एक संकल्प के रूप में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावना के एक-एक शब्द को पढ़ा तथा उनके पीछे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने दुहराया।

इसके अलावा उन्होंने आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को शराब न पीने का भी शपथ दिलाया।

इस अवसर पर मा. संसदीय कार्य सह शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने संविधान की बारीकियों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। यह कानूनों तथा नियमों का संग्रह होता है। आज का दिन इसलिए गौरवपूर्ण है कि आज ही के दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था।

बिहार विधान सभा के सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह ने इस सभा में आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संविधान के कुछ वैधानिक पक्षों से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम के समापन में विधान सभा के संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार पाण्डेय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।